कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

<u>सूचना</u>

प्रथम काउन्सिलिंग (एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा सम्पन्न एम0एड0 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रथम काउन्सिलिंग दिनांक- 04-09-2019 एवं 05-09-2019 को शिक्षाशास्त्र विभाग, एस0एस0जे0 परिसर अल्मोड़ा में सम्पन्न की जायेगी। प्रथम काउन्सिलिंग में सीट आवंटन हेतु कट ऑफ की सूची एवं प्रवेश से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय की वैब साइट www.kunainital.ac.in पर दिनांकः 31-08-2019 से देखी जा सकती है। काउन्सिलिंग हेतु शुल्क रू0 500/- निर्धारित है।

30/8/19
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक - गोप0/प्रवेश परीक्षा-2019/2911 दिनांक 30-08-2019

प्रतिलिपि - 1. निम्नलिखित समाचार पत्रों के सम्पादकों को इस निवेदन से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञापन को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में छात्रहित में निःशुल्क समाचार के रूप में दिनांकः 31-08-2019 को प्रकाशित करने का कष्ट करें।

- दैनिक जागरण
- राष्ट्रीय सहारा
- शाह टाईम्स
- उत्तरांचल दीप
- दैनिक आज
- हिन्दुस्तान
- उत्तर उजाला
- अमर उजाला
- न्यूज प्रिंट

निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

30/8/19
परीक्षा नियंत्रक

प्रथम काउन्सिलिंग (एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019)

कट ऑफ सूची

श्रेणी	प्राप्तांक
सामान्य वर्ग हेतु	98 से 69 तक
अनुसूचित जाति	73 से 60 तक
अनुसूचित जन जाति	70 से 65 तक
अन्य पिछड़ा वर्ग	88 से 66 तक

काउन्सिलिंग/प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु नियम–

1- अभ्यर्थी के निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी–

अ– एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019 अंकपत्र/प्रिंट–आउट (Printout) किया गया आवेदन पत्र।
ब – हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र
स – इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र
द – स्नातक/स्नातकोत्तर /बी0एड0 अथवा अन्य अर्हता परीक्षा की अंक तालिका
य – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र
(निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)
र – क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

काउन्सिलिंग हेतु शुल्क रू 500/– लिया जायेगा।

2- एन0सी0टी0ई0 रेगुलेशन, 2014 द्वारा निर्धारित मानकों के तहत एम0एड0 काउसिलिंग हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने कुमाऊँ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0टी0/एल0टी0/बी0एल0एड0/ डी0एल0एड0/बी0ए0 बी0एड0/बी0एस0सी0 बी0एड0 या बी0एड0 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

3- "अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि का वैध जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाणपत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।"

4- यदि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ी जाति (OBC) का प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाता है तो उसे प्रोविजनल रूप से प्रवेशित किया जाएगा तथा महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय उसे प्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renew) करवा कर प्रस्तुत करना होगा।

5- अनु0जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC) के वे अभ्यर्थी जिनका स्थायी निवास उत्तराखण्ड से बाहर है वे अभ्यर्थी सामान्य (General) अभ्यर्थी के रूप में माने जाएंगे।

6- महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही अपना मेडिकल, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

7- EWS आरक्षण के अन्तर्गत परिसर/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रवेश देना सुनिश्चित करें।

8- प्रतीक्षा सूची हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को प्रवेश केवल सीटों की उपलब्धता व मैरिट आधार पर दिया जायेगा। काउसिंलिग हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को प्रवेश देने की कोई गारन्टी नहीं दी जाती है।